

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8255/2026

CNR: RJHC010595462026

URN: CRLMB / 17940U / 2026

Mota Ram Alias Raju Alias Ravi S/o Prema Ram, Aged About 20 Years, R/o Magro Ki Dhani, Naneoo P.S. Jamba, District Phalodi, Rajasthan. (At Present Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Complainant 'D', R/o Magra Punjla P.S. Mata Ka Than, Jodhpur

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. D.S. Gharsana Mr. Shahbaz Khan Mr. Saurav
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Vasu Deo Gaur Prosecutrix, Her Mother and Her Grandfather are present in person

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना माता का थान, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 64(1) व 316(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4(i) व 11(iv)/12 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता व प्रार्थी-अभियुक्त की आपस में प्रेम संबंध है। प्रार्थी-अभियुक्त पीड़िता के साथ शादी करना चाहता है। पूर्व में प्रार्थी-अभियुक्त के माता-पिता इस शादी के लिये तैयार नहीं थे, अब प्रार्थी-अभियुक्त के माता-पिता लड़की के बालिग होने पर शादी करवाने के लिये तैयार हैं तथा उससे पूर्व वे उनकी

सगाई करवाने को भी तैयार हैं। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने बताया कि पीड़िता, उसकी माता व उसके दादा आज न्यायालय में उपस्थित हैं। यदि प्रार्थी-अभियुक्त विवाह करने को तैयार है और सगाई का कार्यक्रम भी वयस्क होने से पूर्व कर दें तो वे भी प्रार्थी-अभियुक्त को माफ करने को तैयार हैं।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता, उसकी माता व उसके दादा आज न्यायालय में उपस्थित हैं। प्रार्थी-अभियुक्त के माता-पिता ने पीड़िता व प्रार्थी-अभियुक्त की शादी पीड़िता के वयस्क हो जाने पर करवाने में रजामंदी दी है तथा उससे पूर्व वे उन दोनों की सगाई करवाने को भी तैयार हैं।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा दोनों पक्षों के कथनों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **मोटाराम उर्फ राजु उर्फ रवि पुत्र प्रेमाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J